

GM/North Western Railway/Jaipur

CPO

आर बी ई सं-: 96/2013



(भारत के राजपत्र, भाग-2, खंड 3, उपखंड (ii) में प्रकाशनार्थ)

भारत सरकार  
रेल मंत्रालय  
(रेलवे बोर्ड)  
अधिसूचना

GM  
CPO  
FA&CAO  
2/11/13  
Feb 24 cl

नई दिल्ली, तारीख 23.09.2013

का.आ. - राष्ट्रपति संविधान के अनुच्छेद 309 के परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, रेल सेवा (असाधारण पेंशन) नियम 1993 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्:-


1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ: (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम रेल सेवा (असाधारण पेंशन) (संशोधन) नियम, 2013 है।  
(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।
2. रेल सेवा (असाधारण पेंशन) नियम 1993 में-

नियम 2 के स्थान पर निम्नलिखित नियम रखा जाएगा, अर्थात्:-

"2. लागू होना- ये नियम, उन व्यक्तियों से भिन्न जिनको कर्मचारी प्रतिकर अधिनियम 1923 (1923 का 8), (अनुसूची-11 के पैरा 6 के अधीन रहते हुए) लागू होता है, सभी रेल सेवकों को लागू होंगे, चाहे उनकी नियुक्ति जो भारत के राष्ट्रपति के नियंत्रण करने वाले नियम के अधीन हैं, वेतनमान या नियत वेतन या मात्रानुपाती काम दर पर स्थाई या अस्थायी हो:

परंतु इन नियमों की कोई बात 1 जनवरी, 2004 को या उसके पश्चात् नियुक्त रेल सेवकों पर लागू नहीं होगी।

टिप्पण- किसी ऐसे रेल सेवक के संबंध में जिसे 1 जनवरी, 1958 को या उसके पश्चात् संयुक्त राष्ट्र निकायों के अधीन विदेश सेवा में प्रतिनियुक्त किया गया है और जिसे 'सहयुक्त सदस्य' के रूप में संयुक्त राष्ट्र कर्मचारिवृंद पेंशन निधि में सम्मिलित होने के लिए अनुज्ञात किया है, इन नियमों के अधीन कोई अधिनिर्णय नहीं किया जाएगा।";



29/11

(ii) नियम 5 के स्थान पर निम्नलिखित नियम रखा जाएगा, अर्थात्:-

"5. रेल मंत्रालय को, इन नियमों के अधीन आने वाले निःशक्तता या कुटुम्ब पेंशन अनुदान की शक्ति होगी और इन शक्तियों को, जहां कहीं आवश्यक हो, वित्त आयुक्त से परामर्श करके, प्रयोग करेगा किंतु ऐसे मामलों में जो पूर्ण रूप से सरकार के मार्गदर्शक सिद्धांतों और अनुदेशों, निर्देशों के निबंधनों में नहीं आते हैं, उन्हें पेंशन और पेंशन भोगी कल्याण विभाग को भेजे जाएंगे।":

(iii) नियम 8 का लोप किया जाएगा।

(iv) नियम 9 में, उपनियम (2) के पश्चात् निम्नलिखित अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

"(3) निःशक्तता या कृत्यकारी अक्षमता के विस्तार को, फायदों के भाग के रूप में निःशक्तता तत्व की संगणना करने के प्रयोजनों के लिए निम्नलिखित रीति में अवधारित किया जाएगा:-

चिकित्सा बोर्ड द्वारा निर्धारित निःशक्तता की प्रतिशतता	निःशक्तता तत्व की संगणना के लिए गिनी जाने वाली प्रतिशतता
50 तक	50
50 से अधिक और 75 तक	75
75 से अधिक और 100 तक	100

परंतु उपरोक्त निर्धारण, उन रेल सेवकों को, जो सेवा में प्रतिधारित हैं, लागू नहीं होगा।

टिप्पण 1 : निःशक्तता के विस्तार को चिकित्सा बोर्ड के निष्कर्षों को तब तक अंतिम और आबद्धकर माना जा सकेगा जब तक कि कोई कर्मचारी स्वयं, किसी ऐसे प्राधिकारी से जिसने बोर्ड का गठन किया था, ठीक उच्चतर प्राधिकारी को अपील द्वारा पुनर्विलोकन की वांछा नहीं करता है और यदि अपील स्वीकृत की गई है और कोई पुनर्विलोकन चिकित्सा बोर्ड गठित किया गया है तो सभी पक्षकारों पर बोर्ड का निष्कर्ष आबद्धकर होगा।

यथा अवधारित और स्वीकृत निःशक्तता के विस्तार को अंतिम रूप में माना जाएगा और कर्मचारी से, किसी ऐसे प्रमाण पत्र को प्राप्त करने के प्रयोजन के लिए कि निःशक्तता लगातार बनी हुई है, आवधिक रूप से चिकित्सा बोर्ड के समक्ष उपस्थित होने की अपेक्षा नहीं की जाएगी।

टिप्पण 2: कोई रेल सेवक, इस नियम के प्रयोजन के लिए उसकी परीक्षा करने वाले चिकित्सा बोर्ड के विनिश्चय के विरुद्ध अपील कर सकेगा:-

- (i) परीक्षा करने वाले चिकित्सा बोर्ड के निष्कर्षों को, कार्यालय या विभाग के प्रमुख द्वारा चिकित्सा रिपोर्ट की प्राप्ति के पश्चात् यथासंभव, संबद्ध रेल सेवक को ज्ञात कराया जाएगा और संबद्ध रेल सेवक, यदि वह, ऐसे विनिश्चय के विरुद्ध अपील करने की वांछा करता है तो वह ऐसे तारीख से जिसको चिकित्सा बोर्ड के निष्कर्ष, उसको ज्ञात कराए गए थे, एक मास के भीतर अपने मामले के समर्थन में अपेक्षित साक्ष्य के साथ ऐसा करेगा/साधारणतया परीक्षा करने वाले चिकित्सा प्राधिकारी के निष्कर्षों के विरुद्ध में अपील करने का कोई अधिकार नहीं है; किंतु, यदि सरकार का, संबद्ध रेल सेवक द्वारा उसके समक्ष प्रस्तुत साक्ष्य से परीक्षा करने वाले चिकित्सा प्राधिकारी के विनिश्चय में निर्णय की किसी त्रुटि की संभावना का समाधान हो गया है तो वे द्वितीय चिकित्सा बोर्ड द्वारा पुनः परीक्षा के लिए अनुज्ञात कराने को स्वतंत्र होंगे।
- (ii) यदि किसी परीक्षा लेने वाले ऐसे चिकित्सा प्राधिकारी जिसने प्रथमतः उसकी परीक्षा की थी, के विनिश्चय में निर्णय की किसी गलती की संभावना के बारे में किसी साक्ष्य के रूप में रेल सेवक द्वारा कोई चिकित्सा प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है तो ऐसे प्रमाण-पत्र पर तब तक विचार नहीं किया जाएगा जब तक कि उसमें, किसी ऐसे चिकित्सा व्यवसायी द्वारा जिसने इस प्रभाव का प्रमाण पत्र दिया है कि ऐसे किसी चिकित्सा बोर्ड द्वारा जिसने ऐसी क्षति या बीमारी के बारे में अपनी राय दी है, जिसके संबंध में रेल सेवक ने, असाधारण परिस्थितियों के अधीन फायदों के लिए आवेदन किया था, पहले ही संबद्ध व्यक्ति की परीक्षा की है, इस तथ्य की पूरी जानकारी दी गई है, का कोई टिप्पण सम्मिलित न हो।
- (iii) पुनर्विलोकन बोर्ड के समवेत में उपगत व्यय सरकार द्वारा वहन किए जाएंगे परंतु रेल सेवक से ऐसी विहित फीस का संदाय करने की अपेक्षा की जाएगी जो यदि उसकी अपील पुनर्विलोकन बोर्ड द्वारा मान्य ठहराई जाती है तो प्रतिदाय की जाएगी।
- (iv) प्रक्रिया की समानता सुनिश्चित करने के लिए सभी अपीलों, प्रथमतः, रेल मंत्रालय को निर्दिष्ट की जाएंगी जो परीक्षा करने वाले ऐसे चिकित्सा बोर्ड के जिसने, पहले

चिकित्सा परीक्षा की थी, की ओर से निर्णय की कोई गलती है, के बारे में और क्या अपील स्वीकृत की गई या नहीं और यदि स्वीकृत की गई है तो किसके द्वारा ऐसी पुनः परीक्षा की जाएगी, के बारे में प्रस्तुत साक्ष्य पर सलाह देगा।":

(v) नियम 10 के स्थान पर निम्नलिखित नियम रखा जाएगा, अर्थात्:-

"10.(1) जब किसी रेल सेवक की निःशक्तता नियम 4 के निबंधनों के अनुसार रेल सेवा के कारण के रूप में मान लिया जाता है तब उसे संबद्ध चिकित्सा प्राधिकारी द्वारा यथाप्रमाणित उसके द्वारा ग्रस्त निःशक्तता की प्रतिशतता के अनुसार निःशक्तता पेंशन उप नियम (2) के निबंधनों के अनुसार या उप नियम (3) के निबंधनों के अनुसार एकमुश्त प्रतिकर के अनुसार अधिनिर्णित किया जाएगा।

(2) यदि रेल सेवक अपनी निःशक्तता के कारण रेल सेवा से बाहर हो जाता है तो शत प्रतिशत निःशक्तता के लिए निःशक्तता पेंशन की मात्रा, वह होगी जो अनुसूची-III में विनिर्दिष्ट है और निःशक्तता की निम्नतर प्रतिशतता के लिए निःशक्तता पेंशन की मात्रा, नियम 9 के उपबंधों के अनुसार "आनुपातिक रूप से निम्नतर" होगी।

(3) यदि रेल सेवक ऐसी निःशक्तता के रहते हुए भी रेल सेवा में रहता है तो उसे निःशक्तता पेंशन के बदले एकमुश्त प्रतिकर उपनियम (2) के उपबंध के अनुसार उसे अनुज्ञेय निःशक्तता पेंशन के आधार पर समय-समय पर प्रवृत्त सरांशीकरण सारणी के प्रति निर्देश से ऐसी निःशक्तता पेंशन के पूंजीगत मूल्य में परिनिर्धारित करते हुए संदत्त किया जाएगा।

परन्तु नियम 9 के उप नियम (3) में यथा उपबंधित निर्धारण ऐसे मामलों में लागू नहीं होगा।" ;

(vi) नियम 10 के पश्चात, निम्नलिखित नियम अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-

"10 क, ऐसे पेंशनभोगियों को, जो शत प्रतिशत निःशक्तता के लिए नियम 10 के उपबंधों के अधीन निःशक्तता पेंशन प्राप्त कर रहे हैं और जो दिन प्रतिदिन के क्रियाकलाप के लिए दूसरों पर पूर्णरूप से आश्रित हैं, निःशक्तता पेंशन के अतिरिक्त समय समय पर जारी अनुदेशों के अनुसार सतत परिचर भत्ता भी अनुदत्त किया जाएगा।"

(vii) नियम 11 में "अनुसूची IV" शब्दों और अंकों के स्थान पर "अनुसूची III" शब्द और अंक रखे जाएंगे;

(viii) नियम 12 के स्थान पर निम्नलिखित नियम रखा जाएगा, अर्थात :-

"12(1) यदि मृत रेल सेवक ने न तो कोई विधवा छोड़ी है और न ही कोई संतान, तो अधिनिर्णय उसके माता-पिता को दिया जाएगा और माता-पिता की अनुपस्थिति में इससे उपाबद्ध अनुसूची III के अनुसार अवस्यक भाइयों और बहिनों को दिया जाएगा, यदि वे सहायता के लिए रेल सेवक पर पूर्णतया आश्रित थे और उनको धनीय आवश्यकता है।

परन्तु अवस्यक भाइयों और बहिनों को अधिनिर्णय की रकम, ऐसी पेंशन के आधे से अधिक नहीं होगी जो नियम 11 के अधीन विधवा के लिए अनुज्ञेय होती।

(2) इस नियम के उप नियम (1) के अधीन किया गया कोई अधिनिर्णय, पेंशनभोगी की धनीय परिस्थितियों में सुधार होने की दशा में, ऐसी रीति में पुनर्विलोकन के अधीन होगा जो राष्ट्रपति, आदेश द्वारा विहित करें।

टिप्पण:- यदि किसी विधवा, संतान, पिता- माता, अवयस्क भाई या बहिन को रेल सेवक द्वारा किए गए किसी इच्छापत्र या विलेख के अधीन उसकी सम्पत्ति में से किसी शेयर से वंचित कर दिया गया है तो ऐसा व्यक्ति, इन नियमों के अधीन कोई अधिनिर्णय प्राप्त करने के लिए अपात्र होगा और फायदा अगले पात्र व्यक्ति को संक्रांत हो जाएगा।"

(ix) नियम 13 के उप नियम (2) के स्थान पर निम्नलिखित उप नियम रखा जाएगा, अर्थात :-

"(2) कुटुम्ब पेंशन, साधारणतया:-

- (i) विधवा या माता के मामले में मृत्यु या पुनर्विवाह होने तक, इनमें से जो भी पूर्वतर हो, मान्य होगी;
- (ii) अवयस्क पुत्र या अवयस्क भाई के मामले में उसकी पच्चीस वर्ष की आयु प्राप्त होने तक मान्य होगी;
- (iii) पुत्री के मामले में उस अवधि के दौरान जिसको वह रेल सेवा (पेंशन) नियम, 1993 के अधीन कुटुम्ब पेंशन के लिए पात्र है, मान्य होगी;
- (iv) बहन के मामले में जब तक कि वह विवाह न कर ले या जब तक कि उसने पच्चीस वर्ष की आयु प्राप्त होने तक, इनमें से जो भी पूर्वतर हो मान्य होगी;
- (v) पिता के मामले में, आजीवन मान्य होगी।";

(x) नियम 15 में :-

(क) उपनियम(1) के स्थान पर निम्नलिखित उप नियम रखा जाएगा, अर्थात् :-

"(1) प्रक्रिया के विषय की बाबत इन नियमों के अधीन सभी अधिनिर्णय, तत्समय प्रवृत्त साधारण पेंशनों से संबंधित किन्हीं प्रक्रिया या नियमों के उस विस्तार तक अधीन होंगे जो ऐसे प्रक्रिया या नियम लागू हैं और इन नियमों से असंगत नहीं हैं और यह भी कि यदि पेंशन से संबंधित पात्रता इन नियमों के अधीन नहीं आता है किन्तु रेल सेवा (पेंशन) नियम, 1993 के अधीन आता है तो रेल सेवा(पेंशन) नियम, 1993 लागू होंगे, परन्तु वह इन नियमों के उपबंधों के विरुद्ध या उनसे असंगत न हो।"

(ख) उप नियम (5) उस पर उप नियम (3) के रूप में पुनर्संख्यांकित किया जाएगा; और इस प्रकार पुनर्संख्यांकित उपनियम (3) में जहां जहां "रेलवे बोर्ड" शब्द आता है, वहां वहां, "मंजूरी प्राधिकारी" शब्द रखे जाएंगे;

(xi) अनुसूची-III के स्थान पर निम्नलिखित अनुसूची रखी जाएगी, अर्थात् :-

### अनुसूची-III

विभिन्न परिस्थितियों के अधीन मृत्यु या निःशक्तता के लिए संदेय प्रतिकर के अवधारण के लिए मामलों को पांच विभिन्न प्रवर्गों में निम्नलिखित रूप से प्रवर्गीकृत किया गया है :-

**प्रवर्ग 'क'**- मृत्यु या निःशक्तता सरकारी सेवा के कारण न होकर, प्राकृतिक कारणों से हुई हो, उदाहरणार्थ चिरकालिक व्याधि जैसे हृदय रोग और गुरदे की बीमारी, लंबे अरसे से रुग्णता, ड्यूटी पर न रहते हुए दुर्घटना आदि।

**प्रवर्ग 'ख'** - मृत्यु या निःशक्तता जिनका कारण सरकारी सेवा मानी गई है या निःशक्तता जो सरकारी सेवा के कारण बढी हो क्योंकि अत्यधिक गर्म या ठंडे वातावरण या व्यावसायिक खतरे के कारण प्रतिकूल स्थिति में लगातार कार्य करने के कारण हुई बीमारियों के परिणामस्वरूप मृत्यु होना या निःशक्तता से ग्रस्त होना।

**प्रवर्ग 'ग'** - ड्यूटी करते समय दुर्घटनाओं के कारण मृत्यु या निःशक्तता से ग्रस्त होना। ड्यूटी के समय सरकारी यान अथवा सार्वजनिक परिवहन में यात्रा करते

समय दुर्घटना, ड्यूटी पर रहते वायुयान में यात्रा के दौरान दुर्घटना, समुद्री यात्रा करते समय दुर्घटना, ड्यूटी के दौरान विद्युत्मारण (इलेक्ट्रोक्वशन) इत्यादि इसके कुछ उदाहरण हैं।

**प्रवर्ग 'घ' -** ड्यूटी करते समय अथवा अन्यथा आतंकवादियों, असामाजिक तत्वों द्वारा की गई हिंसक कार्रवाई के कारण मृत्यु या निःशक्तता से ग्रस्त होना और प्रदर्शनकारियों, पुलिस कार्मिकों आदि सहित अन्य लोक सेवकों के आंदोलनों, दंगों अथवा विद्रोह का दमन करने में सिविल प्रशासन की सहायता हेतु काम में लगाए गए केन्द्रीय पुलिस संगठनों के कार्मिकों की मृत्यु या उनको पहुंची चोट के मामलों के अलावा सार्वजनिक स्थलों अथवा परिवहनों में बम विस्फोट, लोगों आदि पर अंधाधुंध गोलियों की घटनाएं इस प्रवर्ग में सम्मिलित होंगी।

**प्रवर्ग 'ङ'-** (क) उग्रवादियों, असामाजिक तत्वों द्वारा हमले या उनके विरुद्ध कार्रवाई के दौरान हुए हमले और (ख) अंतरराष्ट्रीय युद्ध अथवा सीमा मुठभेड़ तथा युद्ध-तुल्य परिस्थितियों में शत्रु की कार्रवाई जिसमें (i) कार्रवाई (ऑपरेशनल) क्षेत्र में जाते समय उग्रवादी कार्रवाई, बारूदी सुरंग फटना आदि (ii) उग्रवादियों के द्वारा अपहरण और (iii) प्रशिक्षण अभ्यासों के भाग स्वरूप असली गोला-बारूद से युद्धाभ्यास भी सम्मिलित है, के परिणामस्वरूप मृत्यु या निःशक्तता से ग्रस्त होना।

**टिप्पण 1:-** प्रवर्ग (क) के अधीन आने वाले मामले रेल सेवा, (पेंशन) नियम, 1993 के उपबंधों के अधीन आते हैं।

**टिप्पण 2:-** प्रवर्ग (ख), प्रवर्ग (ग), प्रवर्ग(घ), और प्रवर्ग (ङ.) के अधीन आने वाले मामलों में कुटुम्ब पेंशन या निःशक्तता पेंशन के पैमाने निम्नानुसार होंगे अर्थात्:-

**1. प्रवर्ग 'ख' और प्रवर्ग 'ग' के लिए कुटुम्ब पेंशन-**

(1) असाधारण कुटुम्ब पेंशन की मात्रा का अवधारण करने के लिए बिना संतानों वाली या संतानों वाली विधवाओं के बीच विभेद समाप्त रहेगा। सभी प्रवर्गों की विधवाओं के लिए असाधारण कुटुम्ब पेंशन की मासिक मात्रा निम्नानुसार होगी:-

(क) जहां मृत रेल सेवक ने पेंशन योग्य पद धारण नहीं किया हुआ था: वहां रेल सेवक द्वारा अंतिम आहरित मूल वेतन का 40 प्रतिशत, न्यूनतम 4550/-रु. के अधीन रहते हुए।

(ख) जहां मृत रेल सेवक ने पेंशन योग्य पद धारण किया हुआ था: वहां रेल सेवक द्वारा अंतिम आहरित मूल वेतन का 60 प्रतिशत, न्यूनतम 7000/-रु. के अधीन रहते हुए :

(2) ऐसे मामलों में जहां किसी विधवा की मृत्यु हो जाती है या वह पुनर्विवाह कर लेती है वहां संतानों को यथा लागू उपरोक्त (क) या (ख) में उल्लिखित दरों पर कुटुंब पेंशन संदत्त की जाएगी और पेंशन की वही दर पितृहीन या मातृहीन संतानों के लिए भी लागू होगी तथा उपर्युक्त दोनों ही मामलों में संतानों को कुटुंब पेंशन उसी अवधि के दौरान के लिए संदत्त की जाएगी, जिसके लिए वे रेल सेवा (पेंशन) नियम, 1993 के अधीन कुटुंब पेंशन के लिए पात्र होंगे और आश्रित माता-पिता को विधवाओं या पितृहीन या मातृहीन संतानों के लिए लागू पेंशन-दर की आधी दर पर कुटुंब पेंशन संदत्त की जाएगी।

## 2. प्रवर्ग 'घ' और 'ड.' के लिए कुटुंब पेंशन

(1) यदि किसी रेल सेवक की विधवा जीवित है तो वह मृतक रेल सेवक द्वारा अंतिम आहरित वेतन के समान कुटुंब पेंशन के लिए हकदार होगी और उक्त कुटुंब पेंशन उसके जीवन के लिए या जब तक वह पुनर्विवाह नहीं कर लेती है, ग्राह्य होगी।

(2) किसी विधवा के पुनर्विवाह की दशा में कुटुंब पेंशन, उसके पुनर्विवाह की तारीख की आगामी तारीख से रेल सेवा (पेंशन) नियम, 1993 के अधीन अधिकथित कुटुंब पेंशन की दर पर और शर्तों के अधीन रहते हुए, अनुज्ञात होगी।

(3) विधवा के पुनर्विवाह की दशा में या यदि रेल सेवक की विधवा जीवित नहीं है किन्तु संतान या संतानें जीवित हैं तो सभी संतान एक साथ मूल वेतन के 60 प्रतिशत की दर पर न्यूनतम 7000/- रुपये के अधीन रहते हुए कुटुंब पेंशन के लिए पात्र होंगे और कुटुंब पेंशन ऐसी संतानों को उस अवधि के दौरान से जिसमें वे रेल सेवा (पेंशन) नियम, 1993 के अधीन कुटुंब पेंशन के लिए पात्र होते, संदेय होगी।

(4) जब कोई रेल सेवक की मृत्यु कुंवारे या बिना संतानों के विधुर के रूप में होती है तो आश्रित पेंशन माता-पिता को, धनीय परिस्थितियों के निर्देश के बिना, माता-पिता दोनों के लिए मृतक रेल सेवक द्वारा अंतिम आहरित वेतन के 75 प्रतिशत की दर पर ग्राह्य होगी और एकल माता या पिता के लिए



मृतक रेल सेवक द्वारा अंतिम आहरित वेतन के 60 प्रतिशत की दर पर तथा एकल माता या पिता की मृत्यु पर पश्चातवर्ती दर पर जीवित माता या पिता के लिए ग्राह्य होगी।

- (5) जहां कुटुंब पेंशन या आश्रित पेंशन इन नियमों के अधीन अनुज्ञात की गई है, वहाँ कोई अन्य कुटुंब पेंशन या आश्रित पेंशन उसी मृतक रेल सेवक की मृत्यु हेतु किन्हीं अन्य आदेशों या नियमों के अधीन ग्राह्य होगी।

### 3. प्रवर्ग 'ख' और प्रवर्ग 'ग' के लिए निःशक्तता पेंशन

- (1) शत प्रतिशत निःशक्तता के लिए, पिछले 10 मास के दौरान प्राप्त परिलब्धियों या औसत परिलब्धियों के 50 प्रतिशत की दर पर सामान्य पेंशन, इनमें से जो भी रेल सेवक के लिए फायदाप्रद हो और रेल सेवा (पेंशन) नियम, 1993 के अधीन उपदान ग्राह्य है + मूल वेतन के 30 प्रतिशत के बराबर निःशक्तता पेंशन। उर्पाजन पेंशन यदि अन्यथा देय है, के लिए वास्तव में की गई न्यूनतम अर्हक सेवा की कोई शर्त नहीं होगी और कोई सेवा उपदान भी ग्राह्य नहीं होगा।
- (2) निःशक्तता की निम्नतर प्रतिशतता के लिए मासिक निःशक्तता पेंशन, आनुपातिक रूप से नियम 9 के उपबंधों के अधीन रहते हुए और न्यूनतम 7000/- रुपये के अधीन रहते हुए होगी।

### 4. प्रवर्ग 'घ' के लिए निःशक्तता पेंशन

- (1) पिछले 10 मास के दौरान प्राप्त परिलब्धियों या औसत परिलब्धियों के 50 प्रतिशत की दर के बराबर सेवा अंश से मिलकर बनने वाली निःशक्तता पेंशन इनमें से जो भी रेल सेवक के लिए फायदाप्रद हो और ऐसा उपदान जिसके लिए कर्मचारी अविधिमान्यकरण की तारीख को उसके वेतन के आधार पर हकदार होता किन्तु ऐसी तारीख को जिसको वह सामान्य अनुक्रम में सेवानिवृत्त होता, उसकी सेवा जारी रहती और सामान्य कुटुंब पेंशन के लिए रकम के बराबर निःशक्तता अंश और उर्पाजन पेंशन यदि अन्यथा देय है, के लिए वास्तव में की गई न्यूनतम अर्हक सेवा की कोई शर्त नहीं होगी।
- (2) निःशक्तता की निम्नतर प्रतिशतता के लिए निःशक्तता अंश, नियम 9 के उपबंधों के अधीन रहते हुए आनुपातिक रूप से निम्नतर होगा।

5. प्रवर्ग 'ड.' के लिए निःशक्तता पेंशन

(1) पिछले 10 मास के दौरान प्राप्त परिलब्धियों या औसत परिलब्धियों के 50 प्रतिशत की दर के बराबर सेवा अंश से मिलकर बनने वाली निःशक्तता पेंशन इनमें से जो भी रेल सेवक के लिए फायदाप्रद हो और ऐसा उपदान, जिसके लिए कर्मचारी अविधिमान्यकरण की तारीख को उसके वेतन के आधार पर किन्तु ऐसी तारीख को जिसको वह सामान्य अनुक्रम में सेवानिवृत्त होता, उसकी सेवा जारी रहती, हकदार होता और शत प्रतिशत निःशक्तता की दशा में अंतिम आहरित वेतन की रकम के बराबर निःशक्तता अंश ग्राह्य होगा और अंतिम आहरित वेतन की कोई सीमा नहीं होगी अर्थात् सेवा और पेंशन के निःशक्तता अंशों का कुल योग अंतिम आहरित वेतन से अधिक हो सकेंगे और उर्पाजन पेंशन यदि अन्यथा देय है, के लिए वास्तव में की गई न्यूनतम अर्हक सेवा की कोई शर्त नहीं होगी।

(2) निःशक्तता की निम्नतर प्रतिशतता के लिए निःशक्तता अंश, नियम 9 के उपबंधों के अधीन रहते हुए आनुपातिक रूप से निम्नतर होगा।

6. प्रवर्ग 'घ' और 'ड.' के लिए कर्मकार प्रतिकर अधिनियम, (1923 का 8) के अधीन अतिरिक्त फायदे

कर्मकार प्रतिकर अधिनियम, 1923 के उपबंधों द्वारा शासित रेल सेवक, इस नियम के अधीन अवार्डों के लिए भी पात्र होंगे और जहां इन नियमों के अधीन ग्राह्य फायदा, कर्मकार प्रतिकर अधिनियम, 1923, के अधीन ग्राह्य फायदों से अधिक है वहां उक्त कर्मकार प्रतिकर अधिनियम, 1923 के अधीन ग्राह्य प्रतिकर पृथक रूप से संदेय नहीं होगा। तथापि, यदि इन नियमों के अधीन ग्राह्य राशि वैयक्तिक क्षति (प्रतिकर बीमा) अधिनियम 1963 (1963 का 37) के अधीन प्रतिकर के रूप में संदेय रकम कम है तो वे इन नियमों के अधीन ग्राह्य किसी राशि और उक्त अधिनियमों के अधीन संदेय प्रतिकर की रकम के बीच अंतर के बराबर रकम को प्राप्त करने का अधिकार रखेंगे। ऐसे अंतर को अवधारित करने के प्रयोजन के लिए पश्चातवर्ती रकम को, यदि आवश्यक हो तो नीचे दी गई सारणी को लागू करते हुए, निम्नलिखित उदाहरण के रूप में उपबंधित मासिक रूप से आवर्ती संदाय में परिवर्तित की जाएगी :-

**उदाहरण**

मान लिए एकमुश्त रकम 2,437 रुपये है और हिताधिकारी के अंतिम जन्म दिन के अनुसार आयु 43 वर्ष है, संलग्न सारणी में 43 वर्ष की आयु के सामने स्तम्भ (2) में दिया गया कारक 0.00652957 है और समतुल्य मासिक किस्त  $2437 \times 0.00652957$  के बराबर होगा, अर्थात् 15.91 रुपये (निकटतम पैसे के रूप में)।

**सारणी**

स्तम्भ (1) में दर्शायी गई आयु पर देय 1 रूपया (एक रूपया) की एकमुश्त संदाय के स्थान पर जीवन के लिए समीकृत मासिक किस्तों का दर्शाने वाली सारणी ।			
कर्मचारी की मृत्यु की तारीख को हिताधिकारी के अंतिम जन्म दिन को आयु (x) पर देय एक रूपये के एकमुश्त संदाय के लिए समीकृत मासिक किस्त (रूपया) (1)	हिताधिकारी के अंतिम जन्म दिन को आयु (x) पर देय एक रूपये के एकमुश्त संदाय के लिए समीकृत मासिक किस्त (रूपया) (2)	कर्मचारी की मृत्यु की तारीख को हिताधिकारी के अंतिम जन्म दिन को आयु (x) पर देय एक रूपये के एकमुश्त संदाय के लिए समीकृत मासिक किस्त (रूपया) (1)	हिताधिकारी के अंतिम जन्म दिन को आयु (x) पर देय एक रूपये के एकमुश्त संदाय के लिए समीकृत मासिक किस्त (रूपया) (2)
15	.00471732	46	.00685763
16	.00475242	47	.00697478
17	.00478911	48	.00709629
18	.00482604	49	.00722304
19	.00486170	50	.00735539
20	.00489705		

21	00493425	51	00749383
22	.00497370	52	.00763891
23	.00501551	53	.00779068
24	.00505986	54	.00794944
25	.00510711	55	.00811588
26	.00515735	56	.00828975
27	.00521044	57	.00847108
28	.00526648	58	.00866105
29	.00532588	59	.00885957
30	.00538879	60	.00906678
31	.00545532	61	.00928264
32	.00552586	62	.00950790
33	.00560069	63	.00974405
34	.00567982	64	.00999134
35	.00576319	65	.01024980
36	.00585008	66	.01051930
37	.00593983	67	.01080167
38	.00603239	68	.01109777
39	.00612737	69	.01140868

40	.00622483	70	.01173582
41	.00632463	71	.01207896
42	.00642615	72	.01243851
43	.00652957	73	.01281669
44	.00663558	74	.01321462
45	.00674469	75	.01363359";

(xii) अनुसूची IV का लोप किया जाएगा।

(फा.सं. 2011/एफ(ई)III/1(3)/5)

संजय लवाणिया

(संजय लवाणिया)

कार्यपालक निदेशक, वित्त (स्था.)

रेलवे बोर्ड

टिप्पण:- मूल नियम का.आ.सं. 930 (अ), तारीख 3 दिसम्बर 1993 द्वारा प्रकाशित किए गए थे और तत्पश्चात् का.आ.सं. 1554, तारीख 15 जुलाई, 2000 और का.आ.सं. 1490 (अ), तारीख 30 दिसंबर, 2003 द्वारा संशोधन किए गए।

(फा.सं. 2011/एफ(ई)III/1(3)/5)

संजय लवाणिया

(संजय लवाणिया)

कार्यपालक निदेशक, वित्त (स्था.)

रेलवे बोर्ड

PART II, SECTION 3, SUB-SECTION (II) OF THE GAZETTE OF INDIA

GOVERNMENT OF INDIA  
MINISTRY OF RAILWAYS  
(RAILWAY BOARD)

Notification

New Delhi, dated the 23.09.2013.

**S.O.** - In exercise of the power conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following rules further to amend the Railway Services (Extraordinary Pension) Rules, 1993, namely: -

1. (1) These rules may be called the Railway Services (Extraordinary Pension) (Amendment) Rules, 2013.  
(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Railway Services (Extraordinary Pension) Rules, 1993. -

- (i) for rule 2, the following rule shall be substituted, namely -

"2. Application.— These rules shall apply to all railway servants, other than those to whom the Employees Compensation Act, 1923 (8 of 1923) applies (subject to para 6 of Schedule III) whether their appointment is permanent or temporary, on the scale of pay or fixed pay or piece-work rates who are under the rule making control of the President of India:

Provided that nothing contained in these rules shall apply to the railway servants appointed on or after the 1<sup>st</sup> day of January, 2004.

NOTE: - No award shall be made under these rules in respect of a railway servant who is deputed on foreign service under United Nations' bodies on or after the 1st January, 1958 and who is allowed to join the United Nations' Joint Staff Pension Fund as an 'Associate Member'.

- (ii) for rule 5, the following rule shall be substituted, namely -

"5. The Ministry of Railways shall have the power to grant disability or family pension covered under these rules and shall exercise these power, wherever necessary in consultation with the Financial Commissioner, but the cases which are not covered strictly in terms of the Government guidelines and instructions, reference shall be made to the Department of Pension and Pensioners' Welfare.";

- (iii) rule 8 shall be omitted;

- (iv) in rule 9, after sub-rule (2), the following shall be inserted, namely: -

"(3) The extent of disability or functional incapacity shall be determined in the following manner for purposes of computing the disability element forming part of benefits:-

Percentage of disability assessed by Medical Board	Percentage to be reckoned for computation of disability element.
upto 50	50
More than 50 and upto 75	75
More than 75 and upto 100	100

Provided that the above broadbanding shall not be applicable to railway servants who are retained in service.

Note 1: The findings of the Medical Board on the extent of disability may be treated as final and binding unless the employee himself seeks a review by preferring an appeal to an Authority immediately superior to the one who had constituted the Board and in case the appeal is accepted and a review Medical Board is constituted, the findings of the Board shall be binding on all parties.

The extent of disability as determined and accepted shall be treated as final and the employee shall not be required to appear before the Medical Board periodically for the purpose of obtaining a certificate that the disability continues to persist.

Note 2: A railway servant may appeal against the decision of the Medical Board which examined him for the purpose of this rule:

(i) The findings of the examining Medical Board shall be made known to the railway servant concerned as soon as possible after the receipt of the medical report by the Head of the Office or Department and the railway servant concerned shall, if he desires to appeal against such decision, do so together with requisite evidence in support of his case within one month from the date on which the findings of the Medical Board were made known to him. Ordinarily there is no right of appeal from the findings of an examining medical authority, but if Government is satisfied on the evidence placed before them by the railway servant concerned, of the possibility of an error of judgment in the decision of the examining medical authority, it shall be open to them to allow re-examination by a second Medical Board.

(ii) If any medical certificate is produced by the railway servant as a piece of evidence about the possibility of an error of judgment in the decision of an examining medical authority who had examined him in the first instance, the certificate shall not be taken into consideration unless

it contains a note by the medical practitioner who gave the certificate to the effect that it has been given in full knowledge of the fact that the person concerned has already been examined by a Medical Board who have given their opinion as to the injury or disease in respect of which the railway servant had applied for benefits under extraordinary circumstances.

(iii) The expenditure incurred in assembling the Review Board shall be borne by the Government, provided that the railway servant shall be required to pay a prescribed fee which shall be refunded if his appeal is upheld by the Review Board.

(iv) To ensure uniformity of procedure, all appeals shall at first be referred to the Ministry of Railways who shall advise on the evidence produced as to whether there is an error of judgment on the part of the examining Medical Board who first conducted the Medical examination and whether the appeal shall be accepted or not and if accepted, by whom such re-examination shall be conducted."

(v). for rule 10, the following rule shall be substituted, namely :-

"10.(1) When disablement of a railway servant is conceded as due to railway service in terms of rule 4, he shall be awarded disability pension in terms of sub-rule (2) or lump sum compensation in terms of sub-rule (3) of this rule in accordance with the percentage of disability (suffered by him) as certified by the Medical Authority concerned.

(2) If the railway servant is boarded out of railway service on account of his disablement, the quantum of disability pension for one hundred per cent disability shall be as specified in SCHEDULE III and the quantum of disability pension for lower percentage of disability shall be, "proportionately lower" in accordance with the provisions of rule 9.

(3) If the railway servant is retained in service in spite of such disablement, he shall be paid a compensation in lump sum (in lieu of the disability pension) on the basis of disability pension admissible to him in accordance with the provisions of sub-rule (2), by arriving at the capitalized value of such disability pension with reference to the Commutation Table in force from time to time:

Provided that the broadbanning as provided in sub-rule (3) of rule 9 shall not be applicable in such cases."

(vi) after rule 10, the following rule shall be inserted, namely :-

"10 A. The pensioner who are drawing disability pension under the provisions of rule 10 for one hundred per cent disability and are completely dependent on other for day to day activities, shall also be granted in addition to disability pension, the Constant Attendant Allowance in accordance with the instructions issued from time to time."

(vii). in rule 11, for the word and figure "schedule IV", the word and figure "schedule III" shall be substituted;

(viii) for rule 12, the following rule shall be substituted, namely :-



"12 (1) If the deceased railway servant has left neither a widow nor a child, an award shall be made to his parent or parents and in the absence of the parent or parents to his minor brothers and sisters in accordance with SCHEDULE III hereto annexed, if they were largely dependent on the railway servant for support and are in pecuniary need:

Provided that the amount of the award to minor brothers or sisters shall not exceed one half of the pension that would have been admissible to the widow under rule 11.

(2) Any award made under sub-rule (1) of this rule shall, in the event of an improvement in the pecuniary circumstances of the pensioner, be subject to review in such manner as the President may by order prescribe.

Note.- If any of the widows, children, parents, minor brothers or sisters is denied any share in the property of the railway servant under a Will or Deed made by him, such person shall be ineligible to receive any award under these rules and the benefit shall pass on to the next person eligible." ;

(ix). in rule 13, for sub-rule (2), the following sub-rule shall be substituted, namely :-

"(2) A family pension shall ordinarily be tenable -

- (i) in the case of a widow or mother until death or re-marriage, whichever occur earlier;
- (ii) in the case of minor son or minor brother, until he attains the age of twenty five year ;
- (iii) in the case of daughter during the period she is eligible for family pension under the Railway Services (Pension) Rules, 1993 ;
- (iv) in the case of sister, until marriage or until she attains the age of twenty-five year , whichever occur earlier;
- (v) in the case of a father, life.";

(x). in rule 15, -

(a) for sub-rule (1), the following sub-rule shall be substituted, namely :-

"(1) In respect of matters of procedure, all awards under these rules are subject to any procedure or rules relating to ordinary pensions for the time being in force, to the extent that such procedure or rules are applicable and are not inconsistent with these rules and also, if eligibility concerning pension is not covered under these rules but covered under the Railway Services (Pension) Rules, 1993, the Railway Services (Pension) Rules, 1993 shall be applicable, provided it is not repugnant to or inconsistent with the provisions of these rules.";

(b) sub-rule 5 shall be re-numbered as sub-rule 3 thereof and in sub-rule(3) as so re-numbered for the words "Railway Board". wherever they occur, the words "sanctioning authority" shall be substituted;

(xi) for Schedule III, the following schedule shall be substituted namely :-

### "Schedule III

For determining the compensation payable for death or disability under different circumstances, the cases are categorised in five distinct categories, namely:-

**Category 'A'** - Death or disability due to natural causes not attributable to Government service, e.g. chronic ailments like heart and renal diseases, prolonged illness, accidents while not on duty, etc.

**Category 'B'** - Death or disability due to causes which are accepted as attributable to or aggravated by Government service because of continued exposure to a hostile work environment, subjected to extreme weather conditions or occupational hazards resulting in death or disability.

**Category 'C'** - Death or disability due to accident in the performance of duties e.g. accident while travelling on duty in Government vehicle or public transport, a journey, on duty performed by service aircraft, mishaps at sea, electrocution while on duty, etc.

**Category 'D'** - Death or disability attributable to acts of violence by terrorists, anti-social elements, whether in performance of official duties or otherwise and apart from cases of death or injury sustained by personnel of the Central Police Organisations while employed in aid of the civil administration in quelling agitation, riots or revolt by demonstrators, other public servants including police personnel, bomb blasts in public places or transport, indiscriminate shooting incidents in public, shall be covered under this category.

**Category 'E'** - Death or disability arising as a result of (a) attack by, or during action against extremists, anti-social elements, and (b) enemy action in international war or border skirmishes and warlike situations, including cases which are attributable to (i) extremists acts, exploding mines, while on way to an operational area; (ii) kidnapping by extremists; and (iii) battle inoculation as part of training exercises with live ammunition.

Note 1: Cases under category 'A' are covered under the provisions of the Railway Services (Pension) Rules, 1993.

Note 2: The cases covered under categories 'B', 'C', 'D' and 'E', the family pension or disability pension shall be in the following scales, namely:-

### **1. Family Pension for categories 'B' and 'C'**

(1) Distinction between widows without children or those with children, for determination of the quantum of extraordinary family pension stand abolished. The quantum of monthly extraordinary family pension for all categories of widows shall be in the following manner, namely:-

- (a) where the deceased railway servant was not holding a pensionable post: forty per cent. of basic pay last drawn by the railway servant subject to a minimum of ₹ 4,550; and
- (b) where the deceased railway servant was holding a pensionable post(s): sixty per cent of basic pay last drawn by the railway servant subject to a minimum of ₹ 7,000.

(2) In case where the widow dies or remarries, the children shall be paid family pension at the rates mentioned at (a) or (b) above, as applicable, and the same rate shall also apply to fatherless or motherless children and in both the cases, the family pension shall be paid to children for the period during which they would have been eligible for family pension under the Railway Services (Pension) Rules, 1993 and the dependent parents shall be paid family pension at one-half the rate applicable to widows or fatherless or motherless children.

### **2. Family Pension for categories 'D' and 'E'**

(1) If the railway servant is survived by the widow, she shall be entitled to family pension equal to the pay last drawn by the deceased railway servant and the said family pension shall be admissible to her for life or until her re-marriage.

(2) In the event of re-marriage of the widow, family pension shall be allowed at the rate of family pension and subject to the conditions laid down under the Railway services (Pension) Rules, 1993 from the date following the date of her re-marriage.

(3) In the event of re-marriage of the widow or if the railway servant is not survived by a widow but is survived by a child or children, all children together shall be eligible for family pension at the rate of sixty per cent. of basic pay, subject to a minimum of ₹ 7,000 and the family pension shall be payable to the children from the period during which they would have been eligible for family pension under the Railway Services (Pension) Rules, 1993.

(4) When the railway servant dies as a bachelor or as a widower without children, dependent pension shall be admissible to the parents without reference to pecuniary circumstances, at the rate of seventy five per cent. of pay last drawn by the deceased railway servant for both parents and at the rate of sixty per cent. of pay last drawn by the deceased railway servant for a single parent and on the death of one parent, dependent pension at the latter rate shall be admissible to the surviving parent.

(5) Where family pension or dependent pension is allowed under these rules, no other family pension or dependent pension shall be admissible under any other order or rules in consideration of death of the same deceased railway servant.

### **3. Disability Pension for categories 'B' and 'C'**

(1) Normal pension at the rate of fifty per cent. of the emoluments or average emoluments received during the last ten months, whichever is beneficial to the railway servant and gratuity admissible under the Railway Services (Pension) Rules, 1993, plus disability pension equal to thirty per cent. of basic pay, for hundred per cent. disability shall be admissible and there shall be no condition of minimum qualifying service having been actually rendered for earning pension, if otherwise due and no service gratuity shall be admissible.

2) For lower percentage of disability, the monthly disability pension shall be proportionately lower subject to the provisions of rule 9 and subject to a minimum of ₹ 7,000.

### **4. Disability Pension for category 'D'**

(1) Disability pension comprising a service element equal to the pension at the rate of fifty per cent. of the emoluments or average emoluments received during the last ten months, whichever is beneficial to the railway servant and gratuity to which the employee would have been entitled to on the basis of his pay on the date of invalidation but counting service up to the date on which he would have retired in the normal course and disability element equal in amount to normal family pension shall be admissible and there shall be no condition of minimum qualifying service having been actually rendered for earning pension, if otherwise due.

(2) For lower percentage of disability, the disability element shall be proportionately lower subject to the provisions of rule 9.

### **5. Disability Pension for category 'E'**

(1) Disability pension comprising a service element equal to the pension at the rate of fifty per cent. of the emoluments or average emoluments received during the last ten months, whichever is beneficial to the railway servant and gratuity to which the employee would have been entitled to on the basis of his pay on the date of invalidation but counting service up to the date on which he would have retired in normal course and disability element equal in amount to the pay last drawn in case of hundred per cent. disability shall be admissible and there shall be no upper limit of the 'pay last drawn', i.e. the aggregate of the service and disability elements of pension may exceed the 'pay last drawn' and there shall be no

condition of minimum qualifying service having been actually rendered for earning pension, if otherwise due.

(2) For lower percentage of disability, the disability element shall be proportionately lower subject to provisions of rule 9.

#### **6. Additional benefits under the Employees Compensation Act, 1923 (8 of 1923) for categories 'D' and 'E'**

The railway servants governed by the provisions of the Employees Compensation Act, 1923, shall also be eligible for the awards under these rules and where the benefits admissible under these rules is more than the benefits admissible under the Employees Compensation Act, 1923, the compensation admissible under the said Employees Compensation Act, 1923, shall not be separately payable. However, if the sum admissible under these rules is less than the amount payable as compensation under the Personal Injuries (Compensation Insurance) Act, 1963, (37 of 1963), they shall have a right to receive an amount equal to the difference between the sum admissible under these rules and the amount of compensation payable under the said Acts. For the purpose of determining such difference, the latter amount shall be converted, if necessary, into a recurring monthly payment as in the following illustration, by applying as provided in the table given below:-

#### *Illustration*

Suppose the lump sum amount is ₹ 2,437 and the age last birthday of the beneficiary is 43 year, the factor given in column (2) against age 43 of the table enclosed is 0.00652957 and the equated monthly installment will be equal to  $2,437 \times 0.00652957$ , i.e., ₹ 15.91 (rounded to the nearest paisa).

Table showing the equated monthly installments payable for life in lieu of a lump sum payment of ₹ . 1 (One rupee) due at ages shown in column. (1).

TABLE

Age last birthday of the beneficiary on the date of death of the employee (x)	Equated monthly installment for a lump sum payment of one rupee due at age (x) last birthday of the beneficiary (Rupee)	Age last birthday of the beneficiary on the date of death of the employee (x)	Equated monthly installment for a lump sum payment of one rupee due at age (x) last birthday of the beneficiary (Rupee)
(1)	(2)	(1)	(2)
15	.00471732	46	.00685763
16	.00475242	47	.00697478
17	.00478911	48	.00709629
18	.00482604	49	.00722304
19	.00486170	50	.00735539
20	.00489705		
21	.00493425	51	.00749383
22	.00497370	52	.00763891
23	.00501551	53	.00779068
24	.00505986	54	.00794944
25	.00510711	55	.00811588
26	.00515735	56	.00828975
27	.00521044	57	.00847108
28	.00526648	58	.00866105
29	.00532588	59	.00885957
30	.00538879	60	.00906678
31	.00545532	61	.00928264
32	.00552586	62	.00950790
33	.00560069	63	.00974405
34	.00567982	64	.00999134
35	.00576319	65	.01024980
36	.00585008	66	.01051930
37	.00593983	67	.01080167
38	.00603239	68	.01109777
39	.00612737	69	.01140868
40	.00622483	70	.01173582
41	.00632463	71	.01207896
42	.00642615	72	.01243851
43	.00652957	73	.01281669
44	.00663558	74	.01321462
45	.00674469	75	.01363359."

(xii). Schedule "IV" shall be omitted.

(File No.2011/ F(E)III/1/(3)/5)

*Slarame*  
(SANJAY LAVANIA)  
Executive Director Finance (Estt.),  
Railway Board.

Note:- The principal rules were published vide number S.O. 930 (E) dated the 3<sup>rd</sup> December, 1993 and subsequently amended vide numbers S.O. 1554, dated the 15<sup>th</sup> July, 2000 and S.O.1490(E), dated the 30<sup>th</sup> December,2003.

(File No.2011/ F(E)III/1(3)/5)

*slavania*  
(SANJAY LAVANIA)  
Executive Director Finance (Estt.),  
Railway Board.